

# जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(जिला नजारत शाखा)

निविदा संख्या– 05/20–21

अति–अल्पकालीन निविदा

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उपयोग हेतु निम्न विवरणी के अनुसार सामग्रियों का क्रय करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र०	सामग्री का नाम	मेक/ ब्राण्ड
1	Office Chair	Godrej.
2	Office Almirah	Godrej.
3	Office Table ( Standard Table)	Godrej.
4	Computer Table	Godrej.
5	Storage Rack (Big Size)	Godrej.
6	Storage Rack (Small Size)	Godrej.
7	Three Seater Visitor Chair (Steel)	Godrej.

अतएव सामग्रियों का दर निर्धारण हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान/ एजेंसी से दिनांक– 23/03/2021 से 30/03/2021 के पूर्वाह्न 10:30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक–30/03/2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा निस्तार समिति के द्वारा खोला जायेगा।

नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन दर निर्धारण हेतु दो लिफाफा प्रणाली के अनुसार निविदा आमंत्रित किया जाता है। “A” तकनीकी बीड एवं “B” वित्तीय बीड। दोनों भागों को अलग–अलग लिफाफे में भरकर उसे एक बड़े लिफाफे में भरकर मुहरबंद करना होगा तथा लिफाफे के उपर निविदा वर्ष 2020–21 एवं निविदादाता का पूर्ण नाम/पता आदि सहित निविदा संख्या अंकित कर जमा करना होगा। जो निविदादाता तकनीकी बीड की शर्तों को पूर्ण करेंगे केवल उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के साथ संलग्न रहने वाले कागजातों का विवरण एवं शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. निविदादाता को पिछले तीन वर्षों का 2017– 18, 2018–19 एवं 2019–20 का अद्यतन आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को झारखण्ड सरकार के वाणिज्य कर विभाग से निर्गत जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दाता को नोटरी पब्लिक/कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिए गये शपथ–पत्र की मूल प्रति देना होगा कि उनकी कम्पनी/संस्थान काली सूची में दर्ज नहीं है।

4. कम्पनी/संस्थान को अग्रधन के रूप में 20,000.00 (बीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से देय हो एवं जामताड़ा में भुगतये हो, संलग्न करना होगा।
5. गुणवत्ता एवं स्वीकृत दर में आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा-फेरी या त्रुटि पाए जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर दोनों को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. चयनित निविदादाता को दिनांक- 31/03/2021 के मध्याह्न 12:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति करना होगा।
7. किसी भी परिस्थिति में MRP से अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा।
8. जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
9. यदि चयनित निविदादाता निर्धारित तिथि तक सामग्री की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में कार्यादेश को रद्द कर अन्य निविदादाता को कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत/ रद्द करने का अंतिम अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त  
जामताड़ा।

ज्ञापांक- 129 /नजा0, दिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त  
जामताड़ा।